

**प्रपत्र  
FORM**

दिनांक **31-12-2017** को वर्ष **2017** के लिए अचल सम्पत्ति का विवरण

STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY FOR THE YEAR **2017** AS ON **31-12-2017**

अधिकारी का नाम : **Ramjee Lal Meena.**  
Name of the officer:

वर्तमान वेतन **67P-5400 Level-10**  
Present Pay

सेवा का नाम जिससे अधिकारी संबंधित है **CSIR-IHBT Palampur, H.P**

वर्तमान पद : **Sr. Technical officer**  
Present Post held:

जिला, सब विभाग, तहसील और गाँव का नाम जहाँ सम्पत्ति है	संपत्ति, अचल भूमि और अन्य भवनों का नाम व खोला	वर्तमान मूल्य Present Value	यदि सम्पत्ति अपने स्वयं के नाम पर नहीं है तो बताएं कि किसके नाम से है तथा उसके संबंधों का वर्णन करें ? If not in own name, state in whose name held & his/her relationship to Govt. Servant.	सम्पत्ति कैसे अर्जित की गई ? क्या खरीदने से, बट्टे पर लेने से, दान, उत्तराधिकार, उपहार अथवा किसी अन्य ज्ञात से ली गई ? How acquired ? Whether by purchase, lease, mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition and name with details of persons from whom acquired.	सम्पत्ति से वार्षिक आय Annual Income from the property.	अन्य टिप्पणी Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Rajeev Grandh Nagar Jaipur (Raj)	Housing land Plot	300000	OWN name	By purchase, 17-02-2014	NIL	---

अन्य टिप्पणी : यदि कोई अचल सम्पत्ति का मूल्य निर्धारण करना मुश्किल हो तो अनुमानित मूल्य उल्लेखित किया जाए।  
In case where it is not possible to assess the value accurately the approximate value in relation to present conditions may be indicated.  
\*\* अचल सम्पत्ति का मूल्य निर्धारण में शामिल है : includes short term lease value.

टिप्पणी : घोषणा पत्र भरना तथा इसे वैधता प्रदान सेवा (आवरण) नियमावली, 1964 के विभाग 18(1) के अधीन सेवा में प्रवेश नियुक्ति पर वेतन सेवा श्रेणी- II (कम) एवं वर्ग (यौ) के उल्लेख सहाय्य द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक है और इसके पर्याप्त रूप से प्रत्येक वर्ष का अंतिम पर भरा जाए जिसमें उल्लेखित नाम पर अचल सम्पत्ति का विवरण के नाम पर अचल सम्पत्ति अर्जित, उत्तराधिकार में प्राप्त, बट्टे पर ली गई अथवा बंधन से पूर्ण अचल सम्पत्ति का विवरण दिया गया है।  
Note: The declaration form is required to be filled and submitted by every member of Class-II and class-I service under Rule 18(1) of the Central Civil Services (Conduct) Rules 1964 on the first appointment to the service and thereafter at the interval of every year giving particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage either in his own name or in the name of any members of his family or in the name of any other person.

*Rameera*  
हस्ताक्षर/Signature  
दिनांक/Data **31-12-2017**

*est. made*  
*31/12/17*